न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 30 / 2023

उनवान

1. श्री रामा पिता स्व0 हजारी तेली नि0 वरडोद तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।

--प्रार्थी

बनाम

1. श्री हीरा बाई पुत्री रामेश्वरगिरी जाति गुरसाई नि0 वरडौद तह. हमीरगढ।
2. मांगी बाई पुत्री रामेश्वरगिरी जाति गुरसाई नि0 वरडौद तह. हमीरगढ।
3. श्री भंवर गिरी पुत्र रामेश्वरगिरी जाति गुरसाई नि0 वरडौद तह. हमीरगढ।
4. नर्मदा बाई पुत्री रामेश्वरगिरी जाति गुरसाई नि0 वरडौद तह. हमीरगढ।
5. श्री गणेशलाल तेली पिता लालु तेली नि. वरडौद तह. हमीरगढ।
6. श्री रतन लाल पिता गणेश लाल तेली नि. वरडोद तह. हमीरगढ।
7. श्री रामेश्वर पिता गणेश तेली नि0 वरडौद तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 16.05.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भॅू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 08.02.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम वरडौद प.ह. वरडौद भू.अ.नि. वरडौद तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में खाता संख्या 461 की आ.न. 2625 रकबा 0.5058है0, आ.न. 2626 रकबा 0.8725है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.3783 है0 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15.02.2023 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 लगायत 07 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार / स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

<u>—::आदेश::—</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम वरडौद प.ह. वरडौद भू.अ.नि. वरडौद तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा 461 में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या की आ.न. 2625 रकबा 0.5058है0, आ.न. 2626 रकबा 0. 8725है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.3783 है0 भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 600 / —पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500 / —रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 16.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ